

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं०-15/आरोप (गया) 02-102/2023-

(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-3922 दिनांक-07.08.2023 द्वारा श्री शिव शंकर राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोधगया सम्प्रति अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भू-अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन में घोर अनियमितता बरते जाने, अपने पद का दुरुपयोग कर वैद्य केवाला का दाखिल खारिज अस्वीकृत करते हुए अवैध एवं फर्जी तरीके से दाखिल खारिज की स्वीकृति किये जाने, साथ ही विभाग द्वारा छः बार स्मारित करने के बावजूद भी स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-779(15), दिनांक-02.05.2024, पत्रांक-1220(15), दिनांक-22.07.2024, पत्रांक-2154(15), दिनांक-09.10.2024, पत्रांक-51(15), दिनांक-14.01.2025, पत्रांक-345(15), दिनांक-11.03.2025, पत्रांक-810(15), दिनांक-23.05.2025 एवं पत्रांक-290(15), दिनांक-02.03.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु श्री राय द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित नहीं किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित गंभीर आरोपों एवं श्री राय का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राय के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, गया को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री राय से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्ता, गया/अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, गया/भूमि सुधार उप समाहर्ता, गया/ श्री शिव शंकर राय, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भू-अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(डॉ० महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

स्पीड-पोस्ट
ई-मेल

ज्ञापांक-15/आरोप (गया) 02-102/2023-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- समाहर्ता, गया/भूमि सुधार उप समाहर्ता, गया/ श्री शिव शंकर राय, अपर जिला
भू-अर्जन पदाधिकारी, भू-अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-
आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांक-15/आरोप (गया) 02-102/2023-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, गया को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए
ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0- आरोप पत्र साक्ष्य सहित की छायाप्रति।

ह0/-
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (गया) 02-102/2023-.....1424.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....03/9/24.

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी,
प्रशाखा-3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/आई0टी0
मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/9/24
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।